न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 125/2025

<u>उनवान</u>

सन्तु पत्नी कैलाशचन्द्र जाति भील निवासी चन्दनपुरा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.) ।

—: प्रार्थी।

बनाम

तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.)।

—: अप्रार्थी।

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 11.12.2025

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया कि प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम बिलोदा पटवार हल्का बिलोदा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा में स्थित है। जिसकी खाता संख्या नया 301 व पुराना 295 का सर्वे नम्बर 132 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 4708/142 रकबा 0.80 हे., सर्वे नम्बर 4710/156 रकबा 0.32 हे0, कुल किता 03 रकबा 1.15 हे0 है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीया व प्रार्थीया का परिवार लम्बे समय से उपयोग, उपभोग करते हुवे काश्त करते आ रहे है एवं अपना जीवन यापन करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में प्रार्थीया को उक्त भूमि का राजस्व विभाग से ऑनलाईन नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त करने पर प्रार्थीया को यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थीया के उक्त खाते की भुमि पर मौके पर कृषि काश्त कर रही है वहां पर तरमीम नहीं होकर ऑनलाईन गलत नक्शा राजस्व रेकॉर्ड में दर्शा रहा है। प्रार्थीया ने शिविर प्रशासन गांवों संग—2025 में जाकर जमाबन्दी एवं ट्रेस नक्शा प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि उपरोक्त वर्णित खाते की कृषि भूमि में मौके एवं ऑनलाईन नक्शे में भिन्नता है। ऑनलाईन नक्शा लट्ठा नक्शा अनुसार दुरस्त किये जाने बाबत् प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत् पेश हुआ।

प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना के नाम सम्मन जारी किया गया। भूमिधारी तहसीलदार अरथूना द्वारा [illegible] प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीया श्रीमति सन्तु पत्नी कैलाशचन्द्र के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त के ग्राम बिलोदा, पटवार हल्का बिलोदा में खातेदारी खाता संख्या 301 खसरा नम्बर 4708/142 रकबा 0.80 हेक्टेयर दर्ज रिकार्ड है किन्तु उक्त खसरा नम्बर कि कृषि भूमि के पटवारी लठ्ठा में प्रार्थीया का जहां कब्जा काश्त है वहा पर ही तरमीम की गई है जो कि वास्तविक व सही है लेकिन सेग्रीगेशन

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

के दौरान उक्त खसरा नम्बर 4708/142 रकबा 0.80 हैक्टेयर की ऑनलाईन तरमीम अन्य जगह पर कर दी गई है जो पटवारी लठ्ठा व ऑनलाईन में भिन्नता है। पटवारी के लट्ठे में हाल रिकार्ड के अनुसार जो रमीम की गई है उसी जगह पर प्रार्थीया का कब्जा व काश्त है लेकिन ऑनलाईन तरमीम की गई है वहां पर प्रार्थीया का न ही कब्जा है व न ही काश्त की जा रही है। ऑनलाईन तरमीम की गई है वह राजस्व लठ्ठे से भिन्न है जिसे शुद्ध कर राजस्व लठ्ठे अनुसार सही किया जाना है। उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 4708/142 रकबा 0.80 हैक्टेयर में प्रार्थीया के कब्जा काश्त अनुसार ऑनलाईन तरमीम को राजस्व लठ्ठे अनुसार शुद्ध किया जाना उचित होना बताते हुए रिपोर्ट मय जमाबन्दी लट्ठा नक्शा की नकल व ऑनलाईन नक्शा ट्रेस पेश हुई।

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व संलग्न दस्तावेजो तथा अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने से यह साबित होता है कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि की मूल नक्षा ट्रेस में तरमीम की गई है जिसके अनुरूप ऑनलाईन भू–नक्षे में तरमीम नहीं की गई है। तहसीलदार, अरथूना द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह बताया हैं कि वाद ग्रस्त भूमि की ऑनलाईन भू–नक्षे में तरमीम मूल नक्षा लट्ठा के अनुरूप नहीं की गई है। जबकि प्रार्थीया मूल लट्ठा नक्शा के अनुरूप अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 4708/142 रकबा 0.80 हे. भूमि की लट्ठा नक्शा अनुरूप ऑनलाईन भू–नक्षे में तरमीम किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 4708/142 रकबा 0.80 हे. भूमि की मूल लट्ठा नक्शा अनुरूप ऑनलाईन भू–नक्शे में तरमीम दुरस्त किये जाने आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, अरथूना को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2025 को जारी किया गया।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner